

आदेश

श्री सतपाल पुत्र श्री रूपराम, पंच, ग्राम पंचायत तेजाखेडा, वार्ड नं० 02 खण्ड डबवाली, जिला सिरसा द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 27.03.2025 जो उपायुक्त, सिरसा के सिफारिश पत्र क्रमांक 40/पी0ए0/पंचायत-2025 दिनांक 03.04.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
16.04.2025

दुष्मंता कुमार बैहेरा, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई0सी0ए02-2025/19314-20

दिनांक 24-4-25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, सिरसा को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 40/पी0ए0/पंचायत-2025 दिनांक 03.04.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिरसा।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डबवाली (जिला सिरसा)।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत तेजाखेडा, खण्ड डबवाली, जिला सिरसा।
6. श्री सतपाल पुत्र श्री रूपराम, निवासी गांव तेजाखेडा, तहसील डबवाली, जिला सिरसा।
7. आई0टी0 सैल, मुख्यालय।

Medit

25/4/25

अधीक्षक (चुनाव) 22/04/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।